न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 99/2012

1 श्रीमती गोठी उम्र 78 साल पत्नी स्व. मूला।
2 जगदीश उम्र 45 साल पुत्र स्व. मूला।
3 धर्मपाल उम्र 7 साल पुत्र साधू पुत्र मूला नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका दादी गोठी पत्नी मूला समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी होला काली तन घाटा (चिपलाटा) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 श्रीमती मूली उम्र 70 साल पत्नी भागीरथ पुत्र खांगा जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी होला काली तन घाटा (चिपलाटा) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 उप पंजियक अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व आदेश द्वारा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमकाथाना
जिला सीकर जो बउनवानी प्रकरण श्रीमती मूली बनाम
गोठी आदि आवेदन संख्या 90/2012 में दिनांक 20.06.2012
को पारित किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथ चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 02.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट मूली ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 1329,1330,1336,1338,1345,1347 वाके ग्राम चिपलाटा तहसील नीमकाथाना प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि करीब 50 सालो से भी अधिक समय से अपीलांट व उसके पूर्वजो का विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार चला आ रहा है। जब उक्त भूमियों में जरिये रजामन्दी नामान्तकरण संख्या 173 तस्दीक किया गया तब रेस्पोडेंट के पूर्वजो व उसके पति को भूमियों में दर्ज हक व हिस्से के तथ्य का ज्ञान व जानकारी भलीभांती थी। किन्तु इतने लम्बे समय पश्चात उक्त वाद व आवेदन प्रार्थीया ने पेश किया है जो अवधि बाधित मियाद बाहर है। अपीलांट्स स्व. मूला पुत्र भूरा के वारिसान है। विवादित भूमियां पहले घीसा पुत्र भूरा, रमस्या, नाथा पिता रामनाथ जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी होलाकाली तन घाटा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। इनमे भूरा की मृत्यु पश्चात उसका हिस्सा विरासत में घीसा पुत्र भूरा के नाम दर्ज हो गया, जिस पर उपरोक्त खातेदारान से उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 173 ग्राम चीपलाटा के द्वारा दिनांक 16.02.1964 को आपसी रजामन्दी दर्ज करते हुए रजामन्दी का इन्तकाल भरने पर मूला पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 व भागीरथ, सरदाराराम पिता खांगा जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज हुआ। जिस हिस्से अनुसार आई भूमि पर सभी पक्षकारान काबिज खातेदार काश्तकार रहते चले आ रहे है। उक्त भूमि मूला को विरासत में नही मिली और ना ही पैतृक रही है बल्कि उसकी स्व. अर्जित भूमि रही है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से ही प्रमाणित है कि अपीलांट के पिता दादा व पति स्व. मूला का दर्ज हिस्सा उसकी स्व. अर्जित सम्पदा है जिसे स्वअर्जित सम्पदा नही मानने का कोई प्रश्न ही पैंदा नही होता है। स्व. मूला के उत्तराधिकारी ही अपीलांटस है। उपरोक्त तथ्यों व दस्तावेजों से पूर्णतया प्रमाणित होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में सम्पदा पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही होने का कथन अंकित कर निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीया मूली भागीरथ की पत्नी है इनके कोई सन्तान नही है मौके पर पक्षकारान 1/3,1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित भूमि स्व. अर्जित होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है। पक्षकारों के हक अधिकार मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में अंकित किया है कि भूमि वर्णित मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में 1/3 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम शेष हिस्सा 1/2 में से 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नाम तथा शेष भूमि की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रार्थना पत्र धापा का विवाह भूरा के साथ हुआ उक्त धापा व भूरा से एक पुत्र सन्तान मूला हुआ। भूरा के देहान्त होने पर धापा ने खांगा से विवाह कर लिया। खांगा व धापा से दो पुत्र भागीरथ व सरदाराराम का जन्म हुआ। उक्त मूला अपनी माता के साथ आया था। इस प्रकार खांगा ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त पुत्र सन्तानों के मध्य कोई विवाद न हो इसके लिए अपनी खातेदारी भूमि में तीनों पुत्रों को 1/3,1/3, दे दिया एवं कब्जा सम्भला दिया। इस तरह वाद ग्रस्त भूमि के प्रार्थी अपना 1/3 हिस्सा बताकर प्रार्थना पत्र टी.आई. के जरिये अप्रार्थीगण 1 ता 3 को प्रार्थी के शांति पूर्व कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत प्रतिबन्धित कराने को सहायता चाही गई है। जबकि अप्रार्थीगण स्व. मूला की स्वअर्जित सम्पति होना बताया गया है तथा भूमि जरिये नामान्तकरण दिनांक 16.02.1964 से आना बहस में बताया है। लेकिन स्वअर्जित सम्पति होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी का 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त होना जाहिर होता है। वादग्रस्त भूमि को लेकर मौके पर कोई विवाद नही बढ़े इसके लिए प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में दावे के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित समझता हुं। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

प्रार्थीया मूली भागीरथ की पत्नी है इनके कोई सन्तान नही है मौके पर पक्षकारान 1/3,1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित भूमि स्व. अर्जित होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुआ है। पक्षकारों के हक अधिकार मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नही की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर